

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

12-
क्रमांक
प्रति,

/आउशि/गुणप्रको/नि.का/08

भोपाल, दिनांक 03/01/2009

1. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा,
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
2. प्राचार्य,
समस्त शा0 महाविद्यालय मध्यप्रदेश।

विषय:-सहायक प्राध्यापक से प्राध्यापक के पद पर पदोन्नति।

-:0:-

दिसम्बर 2008 में 01.01.05 की स्थिति में पात्र प्राध्यापकों की पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक सम्पन्न हो चुकी है जिसका परिणाम शीघ्र ही लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के पश्चात जारी किये जायेंगे।


अतः समस्त प्राचार्य कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि वर्ष 1994 तक नियुक्त समस्त सहायक प्राध्यापकों के प्रकरण संचालनालय में भेज दिये जाएं जिससे वर्ष 2006-07 की वार्षिक पदोन्नति समिति की बैठक एक साथ इसी माह में आयोजित की जा सके।

इस जानकारी के लिए प्राचार्य संबंधित सहायक प्राध्यापक से आवेदन पत्र लेकर उसकी आर्हता की जांच करेंगे और आर्हर पाने पर संबंधित पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के प्रमाण-पत्र एवं पी.एच.डी. के प्रमाण-पत्र तथा सहायक प्राध्यापक के द्वारा दिये गये स्वयं के अन्य प्रमाण-पत्रों की जांच कर उन्हें अभिप्रमाणित कर संचालनालय में भेजेंगे, जिससे संचालनालय में सहायक प्राध्यापकों की सूची तैयार करने में कोई त्रुटि न हो।

प्राचार्यों से यह भी निवेदन है कि वर्ष के समस्त गोपनीय प्रतिवेदन भी दिनांक 16.01.09 तक भेजकर यह प्रमाण पत्र प्रदाय करें कि अब उनके महाविद्यालय में किसी भी स्तर के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लंबित नहीं है।

इस प्रमाण-पत्र के प्राप्त न होने पर प्राचार्य का स्वयं का अगला प्रमाण-पत्र उस समय तक रोक लिया जायेगा जब तक वे अपने सभी अधीनस्थों के गोपनीय वरित्रावली पत्रक लिखकर पूर्ण नहीं कर लेते हैं।

अतः अनुरोध है कि एक अभियान चलाकर वर्ष 1994 तक के समस्त सहायक प्राध्यापकों को इस पत्र की जानकारी दें एवं उनके आवेदन पत्र सम्पूर्ण प्रपत्रों के साथ सत्यापन कर दिनांक 12.01.09 तक इस कार्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।



(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश